संख्या-09/2017/1939/41-2016-202/98

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2017**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्यटन पुलिस बल के गठन एवं पर्यटन सूचना एवं प्रचार मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1108/15-1-1/(838)/ट्रै0ट्रे0/2016, दिनांक 28-10-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायु सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डराईट हेतु 42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि रू0 1500.00 लाख में हो रही बचतों में से लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन- आयोजनेत्तर-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) एवं लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 140.00 लाख (रू0 एक करोड चालीस लाख मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिन मदों से व्यय की जायेगी उसका विस्तृत विवरण, धनराशि व्यय किये जाने के शासन को उपलब्ध कराते हुए उसकी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उन मदों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सुसंगत व्यय-विवरण की सूचना महालेखाकार इलाहाबाद को उपलब्ध कराने एवं आंकडों का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से ससमय कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-2 में प्रस्तावित पुनर्विनियोग के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452- पर्यटन-आयोजनागत- 80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायु सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डराईट हेतु-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रारूप बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन- आयोजनेत्तर-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में उपलब्ध कराते हुए उनके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या 26/ई-7/दस-2017, दिनांक-12 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-09/2017/1939(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर / आयोजनागत**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल धनराशि**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-आयोजनागत-80--सामान्य-800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायु सेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डरराइट हेतु-42-अन्य व्यय	150000	116000	19000	19000	131000	लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-आयोजनागत-80--सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान।	15000 5000	20000 19000	5000 14000	5000 14000	20000 19000
योग	150000	116000	19000	19000	131000	योग	25000	39000	19000	19000	39000

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- इस मद में कुल रू0 1500.00 लाख का प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष में आय-व्ययक में किया गया है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने हेतु अपेक्षित धनराशि रू0 190.00 लाख की आवश्यकता होगी।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

शिव कुमार पाठक

उप सचिवए

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-आरई0- /ई-/दस-2017 दिनांक जनवरी,2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या- (1)/41-2016 दिनांकः जनवरी,2017

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,
(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in